

# परिवार का विवरण/DETAILS OF FAMILY

प्रपत्र/Form-3  
SEE RULE 54 [12]

सरकारी कर्मचारी का नाम/Name of the Govt. Servant : \_\_\_\_\_  
पदनाम/Designation : \_\_\_\_\_  
कर्मचारी संख्या/Employee No. : \_\_\_\_\_  
कार्यालय/अनुभाग का नाम/Name of the Office/section : \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ को यथाविद्यमान परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण  
Details of the dependent members of family as on \_\_\_\_\_

क्रमांक Sl. No.	परिवार के आश्रित सदस्य का नाम Name of the dependent Family Member	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with Govt. Servant	जन्म तारीख एवं आयु Date of Birth and age	आय Income
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

उपर्युक्त विवरणों में यदि कोई बदलाव होता है तो मैं प्रधान कार्यालय को अद्यतन करते रहूँगा ।

I hereby undertake to keep the above particulars upto-date by notifying to the Head Office if any addition or alterations.

दिनांक Date: \_\_\_\_\_  
स्थान Place: \_\_\_\_\_  
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
Signature of the Govt. Servant  
कर्मचारी संख्या Employee No. \_\_\_\_\_

[इस उद्देश्य के लिए परिवार का अर्थ है सीसीएस नियम, 1972 के नियम 54 के नियम (14) के खंड (ख) में परिभाषित परिवार]

[Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of Rule (14) of Rule 54 of the CCS Rules, 1972.]